रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2018/भाद्र 7, 1940
No. 295] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018/BHADRA 7, 1940

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2018

फा.सं. 8-10/2013-टीएस.VII (भाग II).—जबकि, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने वर्ष 2010 में गनी खान चौधरी इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी) माल्दा, पश्चिम बंगाल स्थापित किया था ताकि अन्य के साथ-साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मॉड्यूलर प्रोग्राम भी शुरू किया जा सके। मॉड्यूलर प्रोग्राम+2 (व्यावसायिक) स्तर में कक्षा दस उत्तीर्ण छात्रों का दाखिला होता है जोकि मॉड्यूलर प्रोग्राम का पहला स्तर है। पहले स्तर का मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के पश्चात, छात्र+2+2 (डिप्लोमा) स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं जोकि मॉड्यूलर प्रोग्राम का दूसरा स्तर है। दूसरे स्तर का मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के पश्चात, छात्र+2+2+2 (अवर स्नातक) स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं जोकि मॉड्यूलर प्रोग्राम का तीसरा स्तर है। साथ ही, ऐसे छात्रों को, जो केंद्रीय स्तर के प्रमाणित स्कूल बोर्ड अथवा राज्य स्तर के प्रमाणित स्कूल बोर्ड से 10+2 कार्यक्रम पूरा करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्राम के दूसरे स्तर में प्रवेश दिया जाता है जो दूसरे स्तर के 2 वर्ष के मॉड्यूल के सफलतापूर्वक समापन पर मॉड्यूलर प्रोग्राम के तीसरे स्तर में प्रवेश करते हैं।

और जबकि, भारत का दिनांक 27.12.2013 को प्रकाशित राजपत्र राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क 2013, पैरा 13(सी) के तहत केंद्रीय मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि संस्थान द्वारा उनके तत्वाधान में प्रदान किए जा रहे कार्यक्रम उक्त फ्रेमवर्क के पैरा 14(iv) में कार्यान्वयन अनुसूची के तहत एनएसक्यूएफ के अनुरूप हों।

और जबकि, उक्त पैरा 14 (iv) के तहत उप पैरा 14 (iv) (ii)(सी) में निर्देश है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के भर्ती नियमों में सभी पदों हेतु पात्रता उपरोक्त एनएसक्यूएफ के अनुरूप करने के लिए संशोधन किए जाएँगे।

और जबकि, एआइसीटीई ने, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27.12.2013 के अनुसरण में, एसएसक्यूएफ के तहत "युवाओं की व्यावसायिक उन्नति हेतु कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स"/(Skill Assessment Matrix for Vocational Advancement of Youth) को प्रारंभ किया है जिसमें व्यावसायिक स्तर के कार्यकम से उत्तीर्ण छात्र व्यासायिक स्ट्रीम से तकनीकी शिक्षा स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं।

और जबकि, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञा. सं. 14021/7/75-स्थापना(डी) दिनांक 18.04.78 के पैरा iii के तहत व्यावसायिक शिक्षा (12 वर्ष) को इंटरमीडिएट (12 वर्ष) के समतुल्य माना गया है।

और जबकि, कार्य आवंटन नियम 1961 की दूसरी अनुसूची (क्रम सं. बी1 और क्रम सं. बी 24) के तहत तकनीकी शिक्षा की योजना और विस्तार, तकनीकी शिक्षा के विकास और समन्वय का विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग का कार्य विषय है।

और जबकि, कार्य आवंटन नियम 1961 की दूसरी अनुसूची (क्रम सं. बी30) के तहत भारत सरकार के अंतर्गत पदों की भर्ती हेतु व्यावसायिक, तकनीकी योग्यता की मान्यता मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग का कार्य विषय है।

और जबकि, जीकेसीआईईटी द्वारा प्रदत्त 3 वर्षीय और 4 वर्षीय डिग्री पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास परिषद् तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा क्रमशः मान्यता प्राप्त है।

और जबकि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 01.11.2012 (जिसका कि वार्षिक रूप से निरंतर अद्यतन किया गया) के अपने पत्र सं. ईआरओ/1-808250151/2012-13 और दिनांक 01.07.2014 के पत्र सं. ईस्टर्न/2014/2014/1-2180249181 (जिसका कि वार्षिक रूप से निरंतर अद्यतन किया गया) के माध्यम से जीकेसीआईईटी की डिप्लोमा और अवर स्नातक कार्यक्रम को क्रमशः मान्यता प्राप्त है।

अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि :

(i) जीकेसीआईईटी के मॉड्यूलर प्रोग्राम के तीसरे स्तर के सफलतापूर्वक समापन को इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय बी.टेक कार्यक्रम के समतुल्य माना जाता है। जो जीकेसीआईईटी को मॉड्यूलर प्रोग्राम के तीसरे स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, वे छात्र उन सभी रोजगारों और शैक्षिक संभावनाओं के लिए पात्र हैं जहाँ इंजीनियरिंग में बी.टेक (4 वर्षीय) अनिवार्य योग्यता है।

(ii) जीकेसीआईईटी के मॉड्यूलर प्रोग्राम के दूसरे स्तर के सफलतापूर्वक समापन को इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय बी.टेक कार्यक्रम के समतुल्य माना जाता है। जो जीकेसीआईईटी के मॉड्यूलर प्रोग्राम के दूसरे स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, वे छात्र उन सभी रोजगारों और शैक्षिक संभावनाओं के लिए पात्र हैं जहाँ इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता है।

(iii) जीकेसीआईईटी के मॉड्यूलर प्रोग्राम के प्रथम स्तर के सफलतापूर्वक समापन को 10+2 (व्यावसायिक) स्तर कार्यक्रम के समतुल्य माना जाता है। वे जो जीकेसीआईईटी के मॉड्यूलर प्रोग्राम के पहले स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, वे छात्र सभी रोजगार और शैक्षिक संभावनाओं के लिए पात्र हैं जहाँ 10+2 (व्यावसायिक) अनिवार्य योग्यता है।

मधु रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2018

F. No. 8-10/2013-TS.VII (Part II).—Whereas, In the year 2010, Government of India, Ministry of Human Resource Development, D/o Higher Education, established Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and

Technology (GKCIET) Malda, West Bengal to inter-alia start modular programmes in the field of Engineering and Technology. The modular programme offers admission to class X passouts at +2 (vocational) level which is the 1st level of the modular programme. After passing the 1st level module, students then move onto the +2+2 (diploma) level which is the 2nd level of modular programme. After passing the 2nd level module, students then move onto the +2+2+2 (undergraduate) level which is the 3rd level of modular programme. Also, students who finish 10+2 programme from a regular State level or Central level School Board are also admitted into the 2nd level of modular programme who after successful completion of the 2nd level move on to the 3rd level of modular programme.

And whereas, the National Skill Qualification Framework 2013 para 13 (c) published in the gazette of India on 27.12.2013 enjoins upon the central Ministries to ensure that the programmes being offered by institution under their aegis are aligned to the NSQF in accordance with the implementation schedule in para 14 (iv) of the said framework.

And whereas the said para 14 (iv) in sub para 14 (iv) (ii) (c) directs that the recruitment rules of the Govt. of India and the PSEs of the central government shall be amended to define eligibility criteria for all positions in terms of NSQF levels

And whereas in pursuance to the gazette notification dated 27.12.2013, AICTE has under NSQF launched its Skill Assessment Matrix for Vocational Advancement of Youth (SAMVAY) wherein, passouts of vocational level programme can move from vocational stream to technical education stream.

And whereas DoP&AR OM No. 14021/7/75-Estt.(D) dated 18.04.78 under para iii has considered vocational education (12 years) equivalent to the Intermediate (12 year).

And whereas under the second schedule of Allocation of Business Rules, (at Sr. no. B1 and at Sr. no. B 24) Technical Education Planning and Expansion, Development and Coordination of Technical Education are the subject matter of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.

And whereas, under the second schedule of Allocation of Business Rules, (at Sl. No. B30) recognition of Professional Technical Qualification for the purpose of recruitment to the posts under Government of India is the subject matter of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.

And whereas, the 3 year Diploma & 4 year Degree awarded by GKCIET are recognized by West Bengal State Council of Technical & Vocational Education and Skill Development (WBSCT&VE&SD) and All India Council for Technical Education (AICTE) respectively.

And whereas the diploma and undergraduate programme of GKCIET is respectively recognised by AICTE vide its letter No. ERO/1-808250151/2012-13 dated 01.11.2012 (as continuously renewed thereafter annually) and by AICTE vide its letter No. Eastern/2014/2014/1-2180249181 dated 01.07.2014 (as continuously renewed thereafter annually)

Therefore Ministry of Human Resource Development hereby notifies that:

(i) The successful completion of the third level of modular programme from GKCIET is considered equivalent to 4 year B.Tech programme in engineering and students who have successfully completed the 3rd level of modular programme of GKCIET are eligible for all employment and higher educational avenues where B.Tech (4 year) in engineering is the eligibility requirement.

(ii) The successful completion of the second level of the modular programme from GKCIET is considered equivalent to 3 year diploma programme in engineering and students who have successfully completed the 2nd level of modular programme of GKCIET are eligible for all employment and higher educational avenues where 3 year diploma in engineering is the eligibility requirement.

(iii) The successful completion of the first level of the modular programme from GKCIET is considered equivalent to 10+2 (vocational) level programme and students who have successfully completed the 1st level of modular programme of GKCIET are eligible to all employment and higher educational avenues where 10+2 (vocational) is the eligibility requirement.

MADHU RANJAN KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.04 15:39:04 +05'30'